

संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश  
गुरु तेग बहादुर काम्पलेक्स न्यू मार्केट, टी.टी. नगर  
पोस्ट बाक्स नं - 364 भोपाल - 462003

दूरभाष : 0755-2553743

फैक्स : 0755-2577209

Web : www.rsbmp.nic.in

Email: dswoffice@mp.gov.in

कमांक : 454 / संसैक / कल्याण / सीआईएसएफ / 23 / 1093


03 मई 2023

प्रति,

महानिदेशक  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग  
पुनर्वास महानिदेशानलय  
पश्चिम ब्लाक-IV, रामकृष्ण पुरम  
नई दिल्ली-110066

विषय: RESETTLEMENT OF EX-SERVICEMEN (ESM, WIDOWS & WARDS OF SERVICE PERSONNEL KILLED IN ACTION

1. आपका अर्धशासकीय पत्र कमांक 0515/DGR/Res-States/RMC dated 20 Mar 2023 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक 696/2916/2018/दो-ए(3) दिनांक 26 अप्रैल 2023 के माध्यम से प्राप्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।
2. उपरोक्त विषयक चाही गई जानकारी आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु सत्यापित छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

  
कर्नल संजय प्रधान, एसएम (से.नि.)  
सहायक संचालक  
वास्ते संचालक

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

- सूचनार्थ।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार / Central Registry  
पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन  
जारी नं./No. 2  
तारीख/Date 01/05/23

मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-31-1/2013-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.

विषय.—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितों एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 31/17/99/दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 2-11-2000, 11-4-2001, 17-4-2001 सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-3-/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 11-10-2001 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1-10-2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना/अर्ध सैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितों एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ-साथ आतंकवादी, नक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यवाही के दौरान शहीद अथवा विकलांग होने वाले सेना व केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए भी उक्त परिपत्रों के प्रावधान लागू होंगे. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त परिपत्रों की प्रति पुनः संलग्न है.

3. संदर्भित पत्र में उल्लेखित अन्य प्रावधान /सुविधाएं यथावत रहेंगी.

संलग्न—उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-  
( डी. व्ही. सिंह )  
उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

पृ. क्रमांक 814/2013/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-  
उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

CTL

  
कर्मल सजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

मध्यप्रदेश शासन  
गृह ( सामान्य ) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-31-17/99-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2000

प्रति,

- (1) सचिव,  
मुख्यमंत्री सचिवालय,  
मंत्रालय, भोपाल.
- (2) सचिव,  
म. प्र. शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल.
- (3) समस्त संभागायुक्त,  
मध्यप्रदेश शासन.
- (4) समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.
- (5) संचालक,  
सैनिक कल्याण, भोपाल.
- (6) समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश.

**विषय.**—युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों के परिजनों तथा विकलांग हुये सैन्य अधिकारियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता.


राज्य शासन द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुये ऐसे अधिकारियों/सैनिकों के परिवार के आश्रित सदस्यों को एवं विकलांग हुये सैन्य अधिकारियों/सैनिकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये निम्नानुसार निर्णय लिया है:—

- (अ) युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत सैन्य अधिकारियों/सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को रुपये 10.00 लाख (दस लाख) केवल की धनराशि का नकद भुगतान.
- (ब) युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में विकलांग हुये सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारी तथा सैनिकों को शत-प्रतिशत अशक्त होने पर विकलांग अधिकारियों/जवानों को रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख) की सहायता राशि स्वीकृत की जाये. अशक्तता कम होने पर उसके प्रतिशत के अनुपात में सहायता राशि स्वीकृत की जाये. उदाहरण के लिये यदि अशक्तता 50 प्रतिशत है तो रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख) और यदि अशक्तता 25 प्रतिशत है तो रुपये 2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हजार) की नगद सहायता राशि स्वीकृत की जाये. विकलांग होने के संबंध में प्रमाण-पत्र जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा दिया जायेगा.

2. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि उपर्युक्त सहायता मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष के अन्तर्गत एकत्रित राशि का क्लरपस फण्ड बनाकर उसके ब्याज से उपलब्ध कराई जायेगी. इस हेतु संचालक सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश उपर्युक्त विन्दु क्रमांक (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत स्वीकृत प्रदान करने के लिये प्रस्ताव गृह विभाग को भेजेंगे तथा गृह विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री सचिवालय से धनराशि का बैंक संबंधित कलेक्टर को भेजा जायेगा तथा कलेक्टर राशि का भुगतान संबंधित को अथवा उसके वैध चारियों को करेंगे.

3. (अ) युद्ध में शहीद विकलांग हुये सैन्य अधिकारियों/जवानों की पुत्रियों एवं बहनों के विवाह हेतु रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) उपहार की राशि उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान संचालक सैनिक कल्याण द्वारा विभागीय बजट से किया जायेगा.

CTC

  
कर्नल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

(ब) युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत सैनिक अधिकारियों/सैनिकों को विधवा/परिवार के आश्रित किसी एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जायेगी.

(स) युद्ध में विकलांग हुये अधिकारी/सैनिकों को राज्य में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये. ऐसे प्रकरणों में संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा एक परिचय पत्र दिया जाये, जिसके आधार पर उन्हें शासकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके.

4. मान. गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर, सैनिकों के कल्याण हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा. समिति में दो भूतपूर्व सैनिक सदस्य रखे जायेंगे. यह समिति स्वयं सेवी संगठनों, चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य दान-दाताओं से धनराशि प्राप्त कर अथवा मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष में प्राप्त धनराशि से बनाए गये कारपस फण्ड (Corpus fund) पर प्राप्त ब्याज से युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद/विकलांग हुये अधिकारियों तथा सैनिकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति (स्कोलर-शिप) दिलाये जाने एवं निजी संस्थाओं को प्रेरित कर, अशक्त/विकलांग सैनिकों के लिये तिपाहिया साईकल एवं अन्य सुविधायें दिलाने की कार्यवाही करेगी.

5. उपरोक्त समेकित आदेश जारी होने के फलस्वरूप इस संबंध में पूर्व में जारी ज्ञाप क्रमांक एफ-31-15-/98/दो-ए(3), दिनांक 22-12-98, एफ-31-1/99/दो-ए(3), दिनांक 2-7-99, एफ-31-17-99/दो-ए(3), दिनांक 24-2-2000 एवं एफ 31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 26-2-2000 इस आदेश के पश्चात् निरस्त माने जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-


( ऋषि शुक्ला )

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

गृह (सामान्य) विभाग.

CTC

  
 कर्नल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)  
 सहायक संचालक  
 संचालनालय सैनिक कल्याण, म.प्र. भोपाल



मध्यप्रदेश शासन  
गृह ( सामान्य ) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-31-17/99-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2000

प्रति,

- (1) सचिव,  
मुख्यमंत्री सचिवालय,  
मंत्रालय, भोपाल.
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
मंत्रालय, भोपाल.
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.
- (4) समस्त संभागायुक्त,  
मध्यप्रदेश.
- (5) समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.
- (6) समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश.

**विषय.**—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारियों/सैनिकों को मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितों एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता.

**संदर्भ.**—गृह विभाग का परिपत्र क्र.-एफ 31-17-99/दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000.

उपर्युक्त विषय पर विभाग के संदर्भित परिपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया अवलोकन कीजिए, इसके अनुक्रम में शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इस परिपत्र के पैरा-1 के बिन्दु—

“अ” युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत सैन्य अधिकारियों/सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को रुपये 10.00 (रुपये दस लाख) केवल की धनराशि का भुगतान”

के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाये :—


“अ” युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत अधिकारियों/सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों/सैनिकों (जवानों) की विधवाओं/आश्रितों को रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) केवल की धनराशि का नगद भुगतान किया जाये.

2. संदर्भित परिपत्र दिनांक 15-3-2000 के शेष प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगे.
3. इस राशि का भुगतान मुख्यमंत्री कारगिल कोष से किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-  
( बी. आर. ठाकरे )  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
गृह ( सामान्य ) विभाग.

CTC

  
कर्नल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)  
सहायक संचालक

संचालनालय सैनिक कल्याण मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
गृह ( सामान्य ) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-31-1/99-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2001

प्रति,

- (1) सचिव,  
मुख्यमंत्री सचिवालय,  
मंत्रालय, भोपाल.
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
- (3) सचिव,  
म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर (म.प्र.).
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.
- (5) समस्त संभागायुक्त,  
मध्यप्रदेश.
- (6) संचालक,  
सैनिक कल्याण, भोपाल.
- (7) समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.
- (8) समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश.

**विषय.**—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा घोषित सुविधाएँ उपलब्ध करने के संबंध में शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति.

**संदर्भ.**—गृह विभाग का परिपत्र क्र.-एफ 31-17-99/दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000.

राज्य शासन द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी केवल सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति देने के मामलों में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—

- (अ) ऐसे मामलों में सीधी भरती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया जाये.
- (ब) इन नियुक्तियों को आरक्षण प्रावधानों से मुक्त रखा जाये.
- (स) चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाये.
- (द) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय पदों पर नियुक्ति के मामलों में मुदलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त में छूट दी जाये.
- (ई) जिस द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाना हो, उसे लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा जाये और नियुक्ति करने पर इसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को देना पर्याप्त माना जाये.

2. उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय श्रेणी के पद पर विशेष नियुक्ति की पात्रता, सेना में सीधी भरती के कमीशंड अधिकारी के स्तर के शहीद अधिकारी के आश्रित सदस्य तथा वैधानिक चारखान को ही होगी, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत निर्धारित अन्य योग्यताएँ धारित करता हो. शेष आश्रितों को योग्यतानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( एम. श्री. अग्रवाल )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, गृह ( सामान्य ) विभाग.

ETC



कर्नल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

सहायक संचालक

संचालनालय सैनिक कल्याण, म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
गृह ( सामान्य ) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-31-17/99-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2001

प्रति,

संचालक,  
सैनिक कल्याण,  
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय.—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारियों/सैनिकों के शहीद होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितों को सुविधाएं

विषय.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक-31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 2-11-2000

उपर्युक्त विषय से संबंधित संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन हो.

2. अर्द्ध सैनिक बलों के शहीदों के परिजनों को रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से सीधे शासन स्तर पर प्राप्त कर तदुपरान्त संचालन को परीक्षण हेतु भेजने की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने के संबंध में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार अब यह व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 15-3-2000 के पैरा-2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार संचालक, सैनिक कल्याण म. प्र. संबंधित अधिकारी/ सैनिकों के मुख्यालय तथा संबंधित कलेक्टर से जानकारी प्राप्त कर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजेंगे जैसा कि युद्ध अथवा सैन्य कार्यवाही में शहीदों के परिजनों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं, तदुपरान्त गृह विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री सचिवालय से धनराशि का चेक संबंधित कलेक्टर को भेजा जावेगा तथा कलेक्टर राशि का भुगतान संबंधित को अथवा उसके वैध वारसानों को करेंगे.

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्था अनुसार भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता/-

( एम. डी. अग्रवाल )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

गृह ( सामान्य ) विभाग.

पृष्ठांक क्रमांक एफ-31-17/99-दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2001

प्रतिलिपि:—

समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता/-

( एम. डी. अग्रवाल )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

गृह ( सामान्य ) विभाग.

CTC

कर्म संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

सहायक संचालक

संचालकालय सैनिक कल्याण म. प्र. भोपाल



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-9-3/2000-आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2001

प्रति,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन.
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.
3. समस्त संभागायुक्त,  
मध्यप्रदेश.
4. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के शहीद सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा भोषित सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में-शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र. 114सी.आर./35/1(3)72, दिनांक 2-3-72 तथा क्र. 206/39/1(3)72, दिनांक 14-4-72, गृह (सामान्य) विभाग का ज्ञापन क्र. एफ. 31-1/99/दो-ए(3), दिनांक 2-7-99, क्र. एफ-31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 2-11-2000, क्र. एफ. 31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000 तथा क्र. एफ-31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 11-4-2001.


सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 2 मार्च, 1972 के द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों को सिविल सैन्याओं में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये एवं लड़ाई में मृत सैनिकों प्रत्येक सैनिक के अधिक से अधिक दो आश्रितों को खाली पदों के लिये विकलांग सैनिकों के पश्चात् प्राथमिकता दी जाये. इन आश्रितों को शासकीय सेवा के ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद में, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाना हों, नियुक्ति के लिये रोजगार कार्यालय का पंजीयन आवश्यक नहीं होगा. परिवार के आश्रितों सदस्यों को मृत सैनिक की धर्मपत्नी, उनका पुत्र, पुत्री अन्य निकट संबंधी भी जो उनके परिवार की परवरिश करने की जिम्मेदारी लें, सम्मिलित माना जावेगा.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1972 द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया था. इसमें तत्समय भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक दो आश्रित व्यक्तियों को नियुक्ति देने के लिये ए-2 की प्राथमिकता दी गई थी.

3. गृह (सामान्य) विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 2 जुलाई, 99 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत सैन्य अधिकारी/सैनिकों की धर्मपत्नी, परिवार के आश्रित किसी सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाए, तत्पश्चात् गृह (सामान्य) विभाग के परिपत्र दिनांक 2-11-2000 के द्वारा जो इकजाई निर्देश जारी किये गये थे उसमें भी उक्तानुसार प्रावधान किया गया था. इस क्रम में गृह (सामान्य) विभाग ने दिनांक 11-4-2001 के द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी सैन्य अधिकारी/सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति देने के मामले में राज्य शासन द्वारा लिये गये निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया गया था :-

- (अ) ऐसे मामलों में सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया जावे.
- (ब) इन नियुक्तियों को आरक्षण प्रावधानों से मुक्त रखा जाये.
- (स) चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाये.

CTC

  
कर्मस सजय प्रधान, एस एम (से.नि.)  
सहायक संचालक



- (द) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय पदों पर नियुक्ति के मामलों में मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त में छूट दी जाये।
- (ई) जिस द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाना हो, उसे लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा जाये और नियुक्ति करने पर इसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को देना पर्याप्त माना जाये।

4. उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय श्रेणी के पद पर विशेष नियुक्ति की पात्रता, सेना में सीधी भर्ती के कमीशन अधिकारी के स्तर के शहीद अधिकारी के आश्रित सदस्य तथा वैधानिक वारसान को ही होगी, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत निर्धारित अन्य योग्यताएं धारित करता हो। शेष आश्रितों को योग्यतानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी।

5. राज्य सैनिक बोर्ड, म. प्र. की 14वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 में सदस्यों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राज्य शासन के उपरोक्त स्पष्ट आदेशों के बाद भी उपरोक्त वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी जाती है और शहीद सैनिकों की धर्मपति/आश्रितों को काफी प्रयास करने के बाद भी शासन के विभागों द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अतः कृपया युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी सैन्य अधिकारी/आश्रित सदस्य से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे शासन के निर्देशानुसार नियुक्ति देने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जावे। साथ ही प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इसका प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) एवं गृह (सामान्य) विभाग को प्रेषित किया जावे।

हस्ता./-

( यू. एस. बिसेन )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ-9-3/2000-आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2001

प्रतिलिपि—

1. राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
3. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, भोपाल
5. सचिव, निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र.
7. प्रमुख सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/उपसचिव(स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
8. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
9. मुख्य सचिव के टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल.
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल.
11. संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड, म. प्र. भोपाल गुरु तेग बहादुर काम्पलेक्स, टी. टी. नगर, भोपाल.

हस्ता./-

( यू. एस. बिसेन )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

CTC

  
कर्नल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

सहायक संचालक

संचालनालय सैनिक कल्याण, म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक एफ-9-3/2000-आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के शहीद सैन्य अधिकारी/सैनिकों के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा घोषित सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में-शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति.

**संदर्भ.**—सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र, दिनांक 11-10-2001.

गृह (सामान्य)विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 31-17/99/दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000 द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी कंडिका 1 (ब) में अर्द्ध सैनिक बलों का भी उल्लेख है.

2. गृह (सामान्य) विभाग के उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति देने संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11-10-2001 द्वारा जारी किए गए हैं. शासन के ध्यान में लाया गया है कि इस परिपत्र में अर्द्धसैनिक बलों का उल्लेख न होने के कारण युद्ध अथवा सैन्य कार्यवाही में शहीद/विकलांग अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के परिजनों को विशेष अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है.

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11-10-2001 द्वारा जारी प्रावधान सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के साथ-साथ अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के शहीद परिवारों के परिजनों के लिये भी लागू होंगे.

4. शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि उपरोक्त श्रेणी के विशेष नियुक्ति के प्रकरण विभागों/कार्यालयों में प्राप्त होने पर उनका त्वरित निराकरण नहीं किया जाता है. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए मध्यप्रदेश के मूल निवासी सैन्य अधिकारी/सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के आश्रित सदस्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्हें शासन के नियमानुसार नियुक्ति देने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जावे. साथ ही प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इसका प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) एवं गृह (सामान्य) विभाग को प्रेषित किया जावे.

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.

हस्ता./-


( आर. के. गजभिये )

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.

CTC

  
कर्मल संजय प्रधान, एस एम (से.नि.)

सहायक संचालक

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल



मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 31-11/2013/दो ए(3)

भोपाल, दिनांक 11/03/2014

शान्ति,

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त सभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश।

विषय :- युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 31/17/99/दो-ए(3), दिनांक 15/03/2000, समसंख्यक पत्र दिनांक 02/11/2000, 11/04/2001, 17/04/2001, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 11/10/2001, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01/10/2009 ।

---000---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि, युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/अश्रितों अथवा विकलांग हुए कर्मियों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने लिये आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी आदेश को अभी तक पात्रता का आधार माना जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा बैटल कैज्युल्टी की परिभाषा में ऐसी दुर्घटनाओं को भी शामिल किया गया जो प्राकृतिक दुर्घटना की श्रेणी में आती है।

गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 31/1/2013/दो-ए(3), दिनांक 19/03/2013 द्वारा युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही के साथ साथ आतंकवादी, भक्सलवादी तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यवाही के दौरान शहीद हुए या विकलांग होने वाले सेना एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए भी संशोधित परिपत्रों के प्रावधान लागू किए गये हैं।

राज्य शासन एतद्वारा युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही के अंतर्गत निम्न प्रकार की बैटल कैज्युल्टी को पात्रता का आधार मान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

विदेशी सेना या सशस्त्र व्यक्तियों या सीमा पुलिस से मुठभेड़ या सरकार के आदेश पर विदेश में शांति स्थापना में सक्रिय सेवा के दौरान दुर्घटना ।

विदेशी हवाई हमला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के फलस्वरूप दुर्घटना । CTC

S. Singh 2.  
कर्नल संजय प्रधान एस एम (से.नि.)



- 3- सशस्त्र विरोधियों के विरुद्ध कार्यवाही अथवा आंतरिक सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाओं के लिए हेतु नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को मदद के दौरान दुर्घटना।
- 4- युद्ध-जैसी-कार्यवाही की तरह शांति काल में लड़ना या पड़ोसी देश से सीमा में मुठभेड़ में
- 5- युद्ध/सैनिक कार्यवाही के लिये सेना का संचालन या तैनाती के समय आतंकवादियों/देशीय घटकों द्वारा रेलगाड़ी/बस/पोत/हवाई जहाज में सुरंग/बम-विस्फोट के फलस्वरूप दुर्घटना
- 4- भविष्य में उक्त 05 प्रकार की घटनाओं के कारण शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों के सम्मान में मध्यप्रदेश-कारगिल-सहायता-निधि से सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण संदर्भित परिषदों को ध्यान में रखते हुए विभाग को प्रेषित किए जावें।
- 5- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेश  
तथा आदेशानुसार  
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मोप्रो शासन, गृह विभाग  
भोपाल, दिनांक 11/08/13

पृ०क्र०-एफ 31-11/2013/दो ए(3)  
प्रतिलिपि:-

- 1- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
- 3- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
- 4- प्रमुख-सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 5- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
- 6- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- 7- आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- 8- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
- 9- संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल
- 10- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश
- 11- Adjutant General Branch MP 5 (D), Integrated HQ Mod (Army) West Block III, RK Puram, New Delhi- 110066
- 12- Adjutant General Branch MP 6 (D), Integrated HQ Mod (Army) West Block III, RK Puram, New Delhi- 110066

की ओर सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

CTC



उप सचिव

मोप्रो शासन, गृह विभाग